झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय - सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) की धारा 39 एवं 54 का सशोधन

3. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) की धारा 64 का संशोधन

4. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) की धारा 65 का संशोधन

5. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) की धारा 66 का संशोधन

6. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) की धारा 80 का संशोधन ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) में संशोधन के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**

   (1) यह "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2015" कहा जा सकेगा ।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 39 एवं 54 का संशोधन -**

   झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 39 एवं 54 में शब्द "एवं मनोनीत" विलोपित किए जाएंगे ।

3. **झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 64 का संशोधन -**

   अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 64 'क' अंतःस्थापित किया जाता है -

   64 'क' सदस्यता की निरर्हता -

   (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 19, 38 एवं 53 के अंतर्गत अयोग्यताओं (निरर्हताओं) के अध्यधीन है ।

   (2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (ii), धारा 37 की उप धारा (2) एवं धारा 52 की उप धारा (2) के अध्यधीन आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता है;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा के अंतर्गत ऐसे स्थान/पद के लिए निर्वाचित हो गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है, और ऐसे मामलों को किसी निर्वाचन याचिका के तहत प्रश्नगत नहीं किया गया है तो उप धारा (2) के अन्तर्गत मामले को विनिश्चय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द किया जाएगा । ऐसे मामले राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा । राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों का स्वयं भी संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा ।

(3) यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि ग्राम पंचायत का सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य अपने निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचन के पश्चात जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243(च) में प्रावधान किया गया है एवं धारा 19,38 एवं 53 में उल्लिखित निरर्हरताओं के अध्यधीन है तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयोग को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जाएगा । निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा । राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा ;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे किसी परिवाद या आवेदन जो विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा 152 के तहत् निर्वाचन याचिका से संबंधित हो, विचारित करने में सक्षम नहीं होगा ।

4. **झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 65 का संशोधन** -

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 65 के पश्चात निम्न धारा 65 'क' एवं 65 'क' 'क' अन्त:स्थापित की जाएगी -

65 'क' निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि -

(i) पंचायत निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ हो, उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तिथि तक, उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत और प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवायेगा ।

(ii) लेखा में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय।

(iii) उक्त व्यय का कुल योग ऐसी अधिकतम सीमा से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय,अधिक नहीं होगा ।

(iv) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से व्यय विवरणी समर्पित करेगा, जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रतिलिपि होगा ।

65 'क' 'ख' निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता -

(i) यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति,-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया है, और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है तो सम्यक जांचोपरान्त तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् उसे निरर्हित घोषित करने का विनिश्चय करेगा तथा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) ऐसे लेखाओं की जाँच कर सकेगा तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई

का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात उसे निरर्हित करने हेतु अपना विनिश्चय करेगा तथा ऐसा व्यक्ति जिला गजट में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित हो जाएगा ।

(ii) निरर्हता को हटाना या उसकी कालावधि कम करना -

राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त कारणों के लिए, जो अभिलिखित किये जाएंगे, ऐसी निरर्हता को हटा सकेगा या उसकी कालावधि को कम कर सकेगा ।

5. **झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 66 का संशोधन -**

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 की उपधारा 5 में शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग को" के पश्चात शब्द **"स्वत: संज्ञान पर या"** अन्त:स्थापित किया जाता हैं ।

6. **झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 80 का संशोधन**

धारा 80 में निम्न प्रावधान सन्निहित किया जाता है :-

(क) "भवन निर्माण पर नियंत्रण हेतु संदर्भित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत, भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।"

(ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर सभी प्राकर के आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन के संबंध में निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी । संदर्भित नियमावली के अनुरूप भवनों के आकार-प्रकार के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भवन निर्माण के सबंध में अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी ।

———

यह विधेयक झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 4--50--9-4-2015 ।